22.7.24

आज यह पत्रावली पेश हुई। बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पर सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के पिता जंगीर सिंह के नाम चक 2 एसटीडी, खाता संख्या 7/8 में कुल 3.098 हैक्टेयर व चक 3 एसटीडी, खाता संख्या 54/120 में कुल 380 हैक्टेयर आराजी बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 2 एसटीडी की आराजी जरिये वसीयत दिनाक 07.05.2010 व चक 3 एसटीडी की आराजी जरिये हक त्याग दिनाक 06.03.2014 प्राप्त हुई है। जंगीर सिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 है तथा जंगीर सिंह के नाम दर्ज आराजी अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के कब्जा काश्त में है। उक्त आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज है, अभी तक विधिवत अच्छी मन्दी के लिहाज से विभाजन नही हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 प्रश्नगत आराजी मे अच्छी अच्छी किस्म की भूमि को विधिवत विभाजन करवाये बिना विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाकर विक्रय करने की फिराक में है जबकि विधि अनुसार संयुक्त खाता की कृषि भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक ईन्च पर अधिकार होता है। अप्रार्थीगण विधिवत खाता विभाजन करवाये बिना रहन, बैय आदि द्वारा मुतकिल करने व प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहने का अनुतोष चाहा।

अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के पिता के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना स्वीकार है तथा जंगीर सिंह के नाम दर्ज आराजी अप्रार्थी सख्या 2 ता 6 के कब्जा काश्त में न होकर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में है। बेचान व रहन करने की धमकी देने के तथ्य प्रार्थना पत्र को कानूनी रंग देने की गर्ज से झूठे व मनगढत अंकित किये है। प्रार्थी न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण के पिता जंगीर सिंह के नाम दर्ज प्रश्नगत आराजी में अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम विरासतन इन्तकाल को रोकने के लिए असत्य कथन कर वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है। प्राथी श्रीमान न्यायालय से किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। कानुनन खातेदार काश्तकार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष है तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व बहस से यह सावित होता है कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के दादा शंकर सिंह के फौत होने उपरान्त जरिये वसीयत चक 2 एसटीडी की प्रश्नगत आराजी तीनो को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा चक 3 एसटीडी की आराजी हक त्याग के अनुसरण में तीनो को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के पिता के नाम प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी द्वारा जंगीर सिंह की आराजी मे किसी प्रकार का घोषणा का अनुतोष याचित नही किया है बल्कि जंगीर सिह के वारिसान का 1/3 हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त होना प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित करने से प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा जंगीर सिंह का विरासतन इन्तकाल दर्ज नही होने से जंगीर सिंह के वारिसान को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नही पाया जाता है, जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है एंव पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.10.2020 निरस्त की जाती है। पत्रवाली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 22/7/24 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(दिव्या)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी,
(राजस्व) हनुमानगढ़

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़